

मध्यप्रदेश शासन
गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

--: अधिसूचना :-

क्रमांक एफ0 12-29/2011/बी-1/दो,

भोपाल दिनांक 10.06.2011

विषय-शस्त्र लायसेंस प्रक्रियण शुल्क का निर्धारण।

-00-

भारतीय आयुध नियम, 1962 के नियम 57 के तहत नवीन शस्त्र लायसेंस/नवीनीकरण के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के तहत शुल्क लिया जाता है।


2- राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार नवीन शस्त्र लायसेंस/नवीनीकरण शुल्क के अतिरिक्त नवीन शस्त्र लायसेंसों की स्वीकृति एवं नवीनीकरण हेतु प्रक्रियण शुल्क निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

क्र.	हथियार	नये लायसेंस	नवीनीकरण
01	वर्जित हथियार एवं अवर्जित हथियार	रुपये 5,000/-	रुपये 5,000/-
02	अवर्जित रायफल	रुपये 2,000/-	रुपये 2,000/-
03	बी0एल0गन	रुपये 500/-	रुपये 500/-
04	एम0एल0गन	रुपये 200/-	रुपये 200/-

3- उपरोक्त निर्धारित प्रक्रियण शुल्क 0055-पुलिस (800) अन्य प्राप्तियां-प्रक्रियण शुल्क राजस्व मद में जमा होगा।

4- उपर्युक्त आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आलोक रंजन) 10/6/11

सचिव


म0प्र0शासन, गृह विभाग

निरंतर-2

पृ०क० एफ० 12-29/2011/बी-1/दो,
प्रतिलिपि-

भोपाल दिनांक

1. प्रमुख सचिव, म०प्र०शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय,
2. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
3. समस्त आयुक्त, मध्यप्रदेश,
4. आयुक्त, कोष एवं लेखाकार, पर्यावास भवन,
5. समस्त जिला दण्डाधिकारी, म.प्र.,
6. नियंत्रक, केन्द्रीय मुद्रणालय, मध्यप्रदेश भोपाल
की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।


सचिव 10/6/11

म०प्र०शासन, गृह विभाग